

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1877 /2024

दिनांक 27.05.2024

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/1607/2024 दिनांक 25.04.2024 के द्वारा श्री अरुण कुमार बेरीवाल (RJ00172), तत्कालीन विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ मामलात, कोटा हाल विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण, अलवर को दिनांक 30.04.2024 से 09.05.2024 तक 10 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, जिसमें से दिनांक 08.05.2024 से 09.05.2024 तक 02 दिनों का उपार्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4) 35/2013/ 4164

दिनांक 27.05.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. श्री अरुण कुमार बेरीवाल (RJ00172), विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण, अलवर को उनके पत्रांक 163 दिनांक 08.05.2024 के सन्दर्भ में।
3. विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ मामलात, कोटा।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।


सहायक रजिस्ट्रार